# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 113/2012 दायर तारीख 04.09.2012

अनवान

01 शम्भुलाल पिता लालु जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

02 बंशीलाल पिता लालु जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

03 सीता पुत्री लालु जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

04 बालु पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

05 शम्भुलाल पिता बालु जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

06 कैलाश पिता बालु जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

07 भैरू पिता कैला जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

...........प्रार्थीगण

बनाम

01 शंकरलाल पिता जयचन्द जाति धाकड उम्र बालिग निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

02 बंशीलाल पिता जयचन्द जाति धाकड उम्र बालिग निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

03 गोपाललाल पिता होकमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

04 रमेशचन्द्र पिता होकमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

05 मांगी पुत्री होकमा पत्नि गौरीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कास्यां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

06 लाली पत्नि होकमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

07 राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां।

.........................अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि. भीलवाडा

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता प्रार्थीगण।

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

दिनांक :– 20-6-2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया की हम प्रार्थीगणों के स्वामित्व के खातेदारी कृषि भूमि ग्राम थड़ोदा पटवार हल्का थड़ोदा तहसील बिजौलिया के सरहद में स्थित खाता संख्या 407 पर दर्ज प्रार्थी नं0 1 से 3 की खातेदारी आराजी नं0 1443/1281 रकबा 1–09 बीघा, खाता संख्या 218 प्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि आराजी नं0 1280 रकबा 0–15 बीघा, खाता संख्या 405 प्रार्थी नं0 1 से 6 की खातेदारी भूमि आराजी नं0 1280/1 रकबा 0–14 बीघा, खाता संख्या 273 खातेदार प्रार्थी नं0 7 की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1444/1280 रकबा 1–08 बीघाभूमि प्रार्थीगण खातेदारों के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड हैं। प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि मौजा थड़ोदा में स्थित आराजी नम्बर 1280–1280/1, 1443/1281 व 1444/1280 से दर्ज अभिलेख होकर उस पर पैदल आने जाने, सजबेल , बैलगाडी लाने ले जाने का ट्रेक्टर लाने ले जाने का प्राचीन 35–40 वर्ष पुराना रास्ता गांव थड़ोदा से पश्चिमी दिशा में चलकर आ0न0 1279/1 जो विपक्षीगण नं0 1 व 2 की खातेदारी भूमि हैं कि पूर्वी सेर तक पहुंचता हैं जहां से प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि आ0न0 1279/1 में प्रवेश कर उसकी उतरी मेर पर होते हुए विपक्षीगण क्रमांक 3 से 6 की खातेदारी भूमि आ0न0 1442/1279 में प्रवेश कर उक्त खसरा नं0 1442/1279 की उतरी मेर पर होते हुये उसके पश्चात आ0न0 1444/1280 में प्रवेश कर उतरी दिशा में यह रास्ता घूम जाता हैं जहां स 1444/1280 व आ0न0 1442/1279 की मध्य मेर पर होते हुये आ0न0 1443/1280 में प्रवेश कर जाता हैं यह चीर उपयोग का रास्ता 14 फीट चौडा होकर सदैव से चालू हालत में होकर प्रार्थीगण के पूर्वज उसके बाद प्रार्थीगण के उपयोग में आ रहा हैं। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुंचने का नही हैं। विपक्षीगण ने आराजी नम्बर 1279/1 की पूर्वी मेर के पास पत्थर व मिटटी एव झाड़िया डालकर अवरूद्ध कर दिया इससे प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग से वंचित हो रहे हैं। वर्तमान फसल की बुवाई के लिए भी रास्ता नही हैं। प्रार्थी बनने वाले मुवावजे का भुगतान करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज फरमाया जावें।

प्रार्थनाप.त्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई ।

विपक्षीगण की ओर से श्री लक्ष्मीलाल सुराणा अधिवक्ता ने अधिकारपत्र मय जवाब प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। विपक्षी कमांक 1व 2 बावजुद इतल्ला के गैर हाजिर रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता विपक्षी 3,4,5, ने जवाब मे प्रार्थनापत्र के तथ्यो को इन्कार करते हुए जवाब मे अंकित किया कि आराजी संख्या 1279/1 जो प्रार्थीगणों द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 की बतलाई गई हैं वह आराजीयात विपक्षी संख्या 3–4–5–6 के पिता द्वारा ही विपक्षी संख्या 1 व 2 को विक्रय की गई हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगणों के रिश्तेदार हैं इस कारण उनसे कुसंयोजन कर विपक्षीगण संख्या 3–4–5–6 की खातेदारी आराजीयात संख्या 1442/1279 को नष्ट कराने के लिये यह षड़यंत्र रच कर न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया हैं। जो काबिल निरस्ती के हैं। वादग्रस्त रास्ता आराजी संख्या 1442/1279 की उतरी मेर पर होते हुये उसके पश्चात आराजी नं0 1442/1280 में प्रवेश कर उतर दिशा में यह रास्ता घूम जाता हैं बताया गया हैं एवं नक्शा जो इस जवाब के साथ संलग्न किया जा रहा हैं। उसमें यह स्पष्ट हैं कि आराजी संख्या 1444/1280 जहां रास्ता उतरी दिशा में मुड़ना बताया गया हैं वहां पर आराजी संख्या 1281 हैं। एवं वास्तविकता यह हैं कि प्रार्थीगणों की आराजीयात पर आने जाने हेतु अलग से रास्ता हैं एवं मौके पर मौजूद हो उसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण सदैव कर रहे हैं। केवल मात्र विपक्षीगणो को परेशान करने एवं अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

तत्पश्चात दिनांक 15.05.2019 को अधिवक्ता विपक्षी को आवाज दिलवायी गयी। गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार बिजौलियां ने उनके पत्रांक 150 दिनांक 07.02.2018 व पत्रांक 294 दिनांक 15.05.2018 से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम थड़ोदा में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1280, 1280/1, 1443/1281 व 1444/1280 में आने जाने का रास्ते के लिए ग्राम थड़ोदा के आराजी नम्बर 1279/1 रकबा 2–15 बीघा शंकरलाल, बंशीलाल पिता जयचन्द धाकड़ के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। व आराजी नम्बर 1442/1279 रकबा 3–08 बीघा गोपाललाल, रमेशचन्द्र पिता होकमा, मांगी पुत्री होकमा, लाली पत्नि होकमा धाकड़ सा0 देह थड़ोदा के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं के उतरी मेड पर होते हुए आराजी नम्बर 1444/1280 में पहुंचने तक रास्ते के लिए भूमि चाहते हैं। पूर्व में भी इसी आराजी नम्बरों में से होकर रास्ता जाता था। वर्तमान में बन्द हैं। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं पक्षकारान का कहना हैं कि आराजी नम्बर 1280, 1280/1, 1443/1281, 1444/1280 में पहुचने के लिए आराजी नम्बर 1279/1 एवं 1442/1279 में से आपसी सहमति से आ जा सकते हैं। आराजी नम्बर 1279/1 रकबा 2–15 बीघा में से 13 फीट चौड़ायी गुणा 172 फीट लम्बाई कुल 2236 फीट यानि 0–03 बीघा व आराजी नम्बर 1442/1279 रकबा 3–08 बीघा में से 13 फीट चौडायी गुणा 165 फीट लम्बाई कुल 2145 फीट यानि 0–03 बीघा कुल किता 2 रकबा 6–03 बीघा में से 0–06 बीघा भूमि रास्ते में आती हैं।

इस प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा रिपोर्ट पर आपति करने से पुनः मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गयी।

लगातार पेज संख्या 04 पर

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट में तहसीलदार ने अंकित किया कि आराजी नम्बर 1279/1 रकबा 2-15 बीघा में से 0-03 बीघा व आराजी नम्बर 1442/1279 रकबा 3-08 बीघा में से 0-03 बीघा कुल किता 2 रकबा 0-06 बीघा भूमि की डी0एल0सी0 84220/- प्रति बीघा से भूमि की मालियत 25266/- का दुगुना 50532/- बनते हैं। तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होना अंकित किया हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगणों को स्वयं के खाते की भूमि ग्राम धड़ोदा के आराजी नम्बर 1280, 1280/1, 1443/1281, 1444/1280 में पहुचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1279/1 रकबा 2-15 बीघा में से 0-03 बीघा व आराजी नम्बर 1442/1279 रकबा 3-08 बीघा में से 0-03 बीघा कुल किता 2 रकबा 0-06 बीघा भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं। भूमि की डी0एल0सी0 84220/- प्रति बीघा से भूमि की मालियत 25266/- का दुगुना 50532/- बनते हैं। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि का मुहावजा राशि जमा कराने के उपरान्त रास्ता राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 20.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner